



कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, इन्दौर, जिला इन्दौर

लक्ष्मीबाई नगर, छोटा बांगडदा रोड, इन्दौर

E-mail ID :- apmcindore@gmail.com

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2026-27/ 1049


इन्दौर, दिनांक 04/06/26

:: बी.ओ.टी.तौलकांटा हेतु जारी निविदा क्रमांक 710 दिनांक 12.05.2026 हेतु संशोधन सूचना ::

कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर मुख्यमंडी प्रांगण में बी.ओ.टी.आधार पर 10 मे.टन क्षमता का एवं देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी प्रांगण में बी.ओ.टी.आधार पर 100 मे.टन क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (दोनों तरफ प्लेटफार्म) की स्थापना हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/मंडी/निर्माण/2026-27/710 दिनांक 12.05.2026 को ऑनलाईन पोर्टल [mptenders.gov.in](http://mptenders.gov.in) पर प्रकाशन उपरांत दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 14.05.2026 को प्रकाशित कराकर वार्षिक प्रीमियम के आधार पर इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से दिनांक 05.06.2026 को समय सायं 06:00 बजे तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। ऑनलाईन प्राप्त निविदाओं को दिनांक 08.06.2026 को 14:00 बजे से गठित समिति के द्वारा खोले जाने की कार्यवाही की जाना थी।

उक्त दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 14.05.2026 को प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना के संबंध में श्री दीपक शर्मा पिता श्री हरिहरनाथ शर्मा, संचालक श्री बालाजी तौलकांटा, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 19341/2026 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 29 मई 2026 को स्थगन आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 59 के तहत प्रबंध संचालक महोदय, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के समक्ष रिवीजन पिटीशन प्रस्तुत कर 30 दिवस में निराकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 19341/2026 में दिनांक 29 मई 2026 को पारित स्थगन आदेश के पालन में कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर द्वारा उक्त तौलकांटों हेतु दिनांक 05.06.2026 तक ऑनलाईन प्राप्त निविदाओं को दिनांक 08.06.2026 को समय 14:00 बजे से खोले जाने की कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। भाग लेने वाले निविदाकारों को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जावेगा।


  
सचिव,  
कृषि उपज मंडी इंदौर  
अविरत...2

पृ.क्रमांक/मंडी/निर्माण/2026-27/1050

इन्दौर, दिनांक 04/06/26

प्रतिलिपि :-

01. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. कलेक्टर, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इंदौर संभाग,इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. अपर कलेक्टर/भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
05. अध्यक्ष, श्री इंदौर कृषि उपज व्यापारी संघ/श्री अटल दलहन, तिलहन व्यापारी संघ, लक्ष्मीबाई नगर मुख्यमंडी प्रांगण की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
06. प्रभारी, लक्ष्मीबाई नगर मुख्यमंडी प्रांगण/संयोगितागंज उपमंडी प्रांगण/ देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी प्रांगण, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित ।
07. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु ।

  
सचिव,  
मण्डी इंदौर